राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः एफ- 3/III-A/Elec./EPIC-VII/11/1239 **जयपुर, दिनांक : 18.04.13**

प्रेषक :– मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर

प्रेषित :– समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) राजस्थान

विषय :– मतदाता फोटो पहचान पत्र कार्यक्रम Phase- VII के अन्तर्गत फोटोग्राफी शिविरों के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत दिनांक **09.04.13** को आयोजित विडियो कान्फ्रेंन्सिंग में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र कार्यक्रम एवं फोटोयुक्त मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से **100% लक्ष्य** प्राप्ति के निर्देश दिये गये हैं

उक्त वीडियो कान्फ्रेंन्सिंग के दौरान कतिपय जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि फर्म के फोटोग्राफरों के उपस्थित न होने के कारण फोटोग्राफी कार्यक्रम प्रभावित होता है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अनुबंध में प्रतिमाह प्रत्येक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कार्यालय मुख्यालय पर 2 दिन के फोटोग्राफी शिविर आयोजित करने का प्रावधान है, जिसमें फर्म द्वारा एक फोटोग्राफर दो दिवस के लिये उपलब्ध कराया जायेगा। विभाग द्वारा समय–समय पर प्रत्येक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी मुख्यालय पर प्रतिमाह दो दिवसीय फोटोग्राफी शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिये गये हैं।

अतः आपके जिले हेतु अनंबंधित फर्म को विभागीय निर्देशानुसार प्रत्येक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी मुख्यालय पर दो दिवसीय फोटोग्राफी शिविरों का निर्धारण कर फोटोग्राफर भिजवाने हेतु निर्देशित करावें। फोटोग्राफर का समुचित उपयोग हो इसके लिये निम्नानुसार कार्यवाही की जा सकती है :–

1.	अनुबंधित फर्म आपके द्वारा निर्धारित फोटोग्राफी तिथियों पर एक फोटोग्राफर उपलबध कराएगी। इस फोटोग्राफर की सेवाएं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी मुख्यालय से भिन्न ऐसे स्थान पर ली जा सकती है, जहाँ पहचान पत्र का प्रतिशत कम है। इसके लिये फोटोग्राफर को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी मुख्यालय से अन्य निर्धारित स्थान पर ले जाने एवं वापस लाने की परिवहन व्यवस्था निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कार्यालय द्वारा की जायेगी।
2.	यदि पूर्व में निर्धारित फोटोग्राफी तिथियों पर फर्म का फोटोग्राफर उपस्थित नहीं हुआ है तो आगामी माहों में क्षतिपूर्ति हेतु फोटोग्राफी दिवसों की संख्या इस सीमा तक बढ़ाई जा सकती है, जितने दिन पूर्व में फोटोग्राफर उपस्थित नहीं हुआ।

3.	ऐसे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जिनमें पहचान पत्र कार्यक्रमों में **100% लक्ष्य** प्राप्त कर लिये जाने के कारण फोटोग्राफी शिविरों की आवश्यकता नहीं है उसके फोटोग्राफर का उपयोग अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें फोटोग्राफी **% कम है वहाँ किया जा सकता हे। यदि संपूग्र जिले में 100% लक्ष्य** प्राप्त कर लिये गये हैं तो मुख्यालय को इससे अवगत करावें ताकि अन्य जिलों में फोटोग्राफी दिवसों की संख्या बढ़ाई जा सके।

यदि फर्म द्वारा निर्धारित फोटोग्राफी तिथियों पर फोटोग्राफर नहीं भेजा जाता है तो विभाग को अवगत करावें एवं पहचान पत्र प्राप्ति के प्रमाण पत्र प्रेषित करते समय निर्धारित कॉलम में इसका अंकन करावें ताकि फर्म के विरूद्ध अनुबंधानुसार कार्यवाही एवं शास्ति आरोपित की जा सके।

भवदीय,

(पी.सी.गुप्ता)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांकः एफ- 3/III-A/Elec./EPIC-VII/11/1239 **जयपुर, दिनांक : -18.04.13**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों में फोटोग्राफर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें अन्यथा आपके विरूद्ध अनुबंधानसार कार्यवाही की की जायेगी।

1 मै॰ मल्टीवेव इनोवेशल, बी–4, गणपति प्लाजा के पीछे, जयपुर
2 मै॰ नेचुरल सॉफ्टवेयर (प्रा॰) लि॰, सी–2, पंचशील कॉलोनी, पुरानी चुंगी के पास, अजमेर रोड, जयपुर
3 मै॰ बिजनिस इनफोरमेशन प्रोसेसिंग सर्विसेज, 128, विद्युत नगर, बी– क्वीन्स रोड, जयपुर
4 मै॰ जैम कम्प्यूटर्स, बी–2, अक्षत अपार्टमेंन्ट, बीहारी मार्ग, बनीपार्क जयपुर
5 मै॰ बाईनरी सिस्टम्स, बी–5–6, अक्षत अपार्टमेंन्ट, बीहारी मार्ग, बनीपार्क जयपुर

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर ।